UPPG010066142025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।
उपस्थित–राजीव कमल पाण्डेय (उच्चतर न्यायिक सेवा)
दाण्डिक निगरानी संख्या–192/2025

नन्दलाल यादव उम्र लगभग 72 वर्ष पुत्र झरिहाग
निवासी ग्राम बासूपुर, मजरे गद्दोपुर, थाना बदलापुर, जिला जौनपुर।
... ... निगरानीकर्ता

बनाम

1. राज्य उत्तर प्रदेश
2. नीलम यादव पुत्री रामचन्द्र यादव, निवासी ग्राम कलियनापुर, थाना पट्टी, जिला प्रतापगढ़।

... ... विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत निगरानी अपर सिविल जज(जू0डि0), कक्ष संख्या–15, प्रतापगढ़ द्वारा फौजदारी वाद संख्या–7408/2024, राज्य बनाम नन्दलाल यादव, मु0अ0सं0–383/2023, धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता, थाना पट्टी, प्रतापगढ़ के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 02.08.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत आदेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/अभियुक्त नन्दलाल यादव द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है।

2. नन्दलाल यादव/निगरानीकर्ता के द्वारा यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है और दंड प्रक्रिया संहिता के साथ–साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा निर्धारित नियमों और कानून के विरुद्ध है तथा प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्नगत आदेश अवैध है, माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत है एवं अनुमानों व अटकलों पर आधारित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र को जल्दबाजी और लापरवाही में खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। पुनरीक्षणकर्ता की अपराध कारित करने में लेशमात्र संलिप्तता नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता को किसी भी गवाह द्वारा कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है और व्हाट्सएप संदेशों के आधार पर, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध के बुनियादी तत्व नहीं बनते हैं। पत्रावली में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(3) के तहत गवाहों के कोई बयान मौजूद नहीं हैं, इसलिए गवाहों के बयानों के बिना अभियोजन को ऐसे अस्पष्ट, सामान्य और सर्वव्यापी (omnibus) आरोपों के आधार पर जारी नहीं रखा जा सकता है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 02.08.2025 निरस्त किए जाने की याचना

Digitally signed by Rajiv Kamal Pandey
Date: 2026.07.10 17:23:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की गई है।

3. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी मेमो के साथ अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.08.2025 की सत्य प्रति 4ख/2 दाखिल की गई है।

4. विद्वान अपर सिविल जज(जू0डि0), कक्ष संख्या–15, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांकित 02.08.2025 एवं निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में लिये गये आधारों, विचारों एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया।

5. विद्वान अपर सिविल जज(जू0डि0), कक्ष संख्या–15, प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.08.2025 इस प्रकार है– *'' वादिनी मुकदमा नीलम यादव द्वारा तहरीर में कथन किया गया है कि उसकी शादी दिनांक 06.06.2023 को अमित कुमार यादव के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई थी। वादिनीविदा होकर अपने ससुराल गई और वहाँ चार दिन तक रही, उसके बाद वापस मायके आ गयी, उसके बाद फिर दिनांक 18.06.2023 को वादिनी के ससुर विदा कर ससुराल ले गये, लेकिन वादिनी के पति नहीं थे उसे कहा कि पढ़ने सागर मध्य प्रदेश चले गये हैं, उसके बाद फिर पति वापस गाँव नहीं आये तथा दिनांक 24.07.2023 को सूचना मिली कि पति की मृत्यु टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल मुम्बई में हो गयी है, जब वादिनी ने पूछा कि कैंसर अस्पताल में कैसे हो गयी, तो सास व ननदें संगीता, मंजू व ज्योति तथा जेठानी श्वेता और जेठ जगन्नाथ ने बताया कि उन्हें दो वर्ष से ब्लड कैंसर की बीमारी थी और ब्लड कैंसर से ही उनकी मृत्यु हो गयी है। बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० तथा 164 द०प्र०सं० मे पीड़िता ने घटना का समर्थन किया है तथा अन्य गवाहों ने भी अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० में घटना का समर्थन किया है।*

अतः उपरोक्त विश्लेषण व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त नन्दलाल यादव को उन्मोचित किए जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है, फलस्वरुप अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।''

6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण जगन्नाथ, धरमा देवी, श्वेता, संगीता, मंजू, ज्योति, अजय प्रकाश यादव, रमेश यादव, राजेन्द्र प्रसाद यादव के अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त नन्दलाल यादव को भी नामजद किया गया था तथा उनके द्वारा धारा 323, 420, 498ए, 354क भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया जाना बताया गया था। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य में भी प्रार्थी/अभियुक्त अपने लड़के की गम्भीर बीमारी का पता होने के बावजूद उक्त बीमारी की बात छिपाने तथा वादिनी के साथ अपने लड़के की शादी करा दिये जाने एवं शादी में धन का लेन–देन व शादी में खर्च कराया जाना बताया गया है।

7. उन्मोचन के स्तर पर न्यायालय को यह देखा जाना होता है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला बन रहा है जिसके लिए उसका विचारण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Union of India vs Prafulla Kumar Samal & Anr. AIR 1979 Sc 366** में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं–

(1) That the Judge while considering the question of framing the charges under section 227 of the Code has the undoubted power to sift and weigh the evidence for the limited purpose of finding out whether or not a prima facie case against the accused has been made

out:

(2) Where the materials placed before the Court disclose grave suspicion against the accused which has not been properly explained the Court will be, fully justified in framing a charge and proceeding with the trial.

8. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अपर सिविल जज(जू0डि0), कक्ष संख्या–15, प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्टया साक्ष्य उपलब्ध होने के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध है तथा मामले में साक्षीगण के दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य व प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की प्रथमदृष्टया अपराध में संलिप्तता इंगित हो रही है। विद्वान अपर सिविल जज(जू0डि0), कक्ष संख्या–15, प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.08.2025 में कोई कानूनी त्रुटि, अवैधानिकता या क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग परिलक्षित नहीं होता है। तदनुसार, निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह दाण्डिक निगरानी निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी **दाण्डिक निगरानी संख्या–192/2025, नन्दलाल यादव बनाम राज्य उ0प्र0 आदि,** निरस्त की जाती है।

विद्वान अपर सिविल जज(जू0डि0), कक्ष संख्या–15, प्रतापगढ़ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 02.08.2025 की पुष्टि की जाती है।

तद्नुसार प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

इस आदेश की एक सत्य प्रति न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0), कक्ष संख्या–15, प्रतापगढ़ को अविलम्ब प्रति प्रेषित हो। दाण्डिक निगरानी की मूल पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 10.07.2026

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
प्रतापगढ़।
I.D No. UP 2020

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर, उदघोषित किया गया।

दिनांकः 10.07.2026

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
प्रतापगढ़।
I.D No. UP 2020